यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए **कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, देहरादून के माह दिसंबर 2015 से दिसंबर 2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेंखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2017 से 17.01.2017 तक श्री दिनेश कुमार पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया ।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री जी के बत्रा, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 09.12.2015 से 30.12.2015 तक कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून की लेखापरीक्षा के साथ श्री दिनेश कुमार पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह अप्रैल 2014 से नवंबर 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह दिसंबर 2015 से दिसंबर 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के कियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधियों का संचालन, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 (दिसंबर 2016 तक)
प्रारम्भिक अवशेष	232.26	409.63	437.33	131.48
आवंटन				
(i) राज्यान्श	0	0	0	0
(ii) केंन्द्रान्श	1406.20	1065.77	969.49	900.15
(iii) अन्य	21.55	16.97	11.09	11.36
योग	1660.01	1492.37	1417.91	1042.99
व्यय	1250.38	1055.04	1286.43	339.65
शेष	409.63	437.33	131.48	703.34

(iii) (ब) केन्द्र पुरानिर्धारित योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

शून्य

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "B" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. मुख्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य
3. परियोजना अधिकारी
4. अपर परियोजना अधिकारी/सदस्य सचिव

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह मार्च 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शाक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी .सी. एक्ट, 1971) की धारा 19 (2) एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनिमय, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर (1) :– विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ₹ 1.04 करोंड़ का अनियमित व्यय किया जाना।

नाको (NACO) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शिका (Guidelines) के अनुसार लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना (Targetel intervention) के अर्न्तगत दो वर्ष पूर्ण कर चुकी 28 गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) का External evaluation द्वारा मुल्यांकन (Programme Consultants and Financial consultants, CA), द्वारा निष्पादित कराने हेतु, चार सदस्सीय टीमों का गठन का अनुमोदन नाको–भारत सरकार (NACO-Gol) द्वारा प्रदान (2 फरवरी 2016) की गयी थी जिसके लिए प्रत्येक टीम में लीडर सहित दो प्रोग्राम कंसल्टेट, एक फाइनेंस कंसल्टेट तथा Technical Support unit से एक प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया था।

सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया कि नाको भारत सरकार द्वारा नामित External evaluation team द्वारा दो वर्ष पूर्ण कर चुके 28 गैर सरकारी संस्थाओं का मुल्यांकन के अतंर्गत 06 गैरसरकारी संस्थाओं को NACO- Gol के मार्गदर्शिका के मानको के विपरीत मानते हुए अनुबंध की निरन्तरता प्रदान न कर अनुबंध समाप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था जिसके आधार पर निम्न 06 NGOs को अनुबंध से बाहर कर (31 मार्च 2016) दिया गया था जो निम्नवत है–

क्रम सं.	गैर सरकारी संस्थाओं का नाम	लक्ष्यगत परियोजना Targetel intervention Topology	Marks obtained by each NGO					
			Finance		Organizational		Programme Delivery	
			Marks obtained	%(Qualifying 70%)	Marks obtained	%(Qualifying 80%)	Marks obtained	%
1.	DRES	Msm-350	12	92.3	7	50	42	54
2.	Jyotsana Gram Vikas	Migrants-500	4	30.8	5	50	24	34.7
3.	Mahila Seva Samiti	FSW-250	8	61.5	12	85.7	50	62.5
4.	Manav (MEPVS)	FSW-250	8	61.5	8	57.1	40	51.1
5.	Gramin Utthan	FSW-300	9	69.2	7	50	30	39.9
6.	Danpur Himalaya (DHARA)	IDU-350	8	61.5	10	71.4	35	41.9

लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया कि, इसके विपरीत, USACS के Internal evaluation team, (Project Officer-Technical Support unit) द्वारा उक्त 06 संस्थाओं के सापेक्ष संपादित Internal evaluation report में उनके द्वारा रेखाकिंत किये गये कार्यो को NACO- Gol मार्गदर्शिका के अनुरूप मानते हुए उनके अनुबंध को निरन्तरता प्रदान करते हुए अनुशंसा प्रदान की गयी थी ।

इस प्रकार, दो वर्ष अनुबंध (2014–15 एवं 2015–16) पूर्ण कर चूके उक्त 06 संस्थाओं के External evaluation के मुल्यांकन रिपोर्ट (02/2016) में गैर सरकारी संस्थाओं को NACO- GoI के मार्गदर्शिका में निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुरूप अधोमानक मानते हुए किये गये व्यय धनराशि को प्रश्नगत करते हुए अनुबंध समाप्त किये जाने हेतु अनुशंसित की गयी थी। जिससे आधार पर उक्त 06 सस्थाओं को अनुबंध से बाहर कर (मार्च/2016) दिया गया था फिर भी USACS द्वारा वर्ष 2016–17 में उक्त 06 सस्थांओं में से 02 संस्थाओं को ₹ 5,33,124/(₹ 473,124/+ ₹ 60,000/) आवंटित किया गया था जिसके सापेक्ष ₹ 4,73,124 धनराशि का SoE लेखापरीक्षा अवधि तक (जनवरी/2017 तक) अप्राप्त थी जो इंगित करता है कि USACS द्वारा उक्त 06 गैरसरकारी संस्थाओं के कार्यो को सही मुल्यांकन में विभाग पूर्णतः विफल रहा, परिणामस्वरूप NACO- GoI में निर्धारित मानकों के विपरीत किये गये कुल व्यय धनराशि ₹ 1,03,75,703/–(₹ 9902579+₹ 473124) की सार्थकता को प्रश्नगत करते हुए अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर USACS द्वारा बताया गया कि उक्त 06 सस्थांओं की Internal evaluation report (USACS/TSU) में वित्तिय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में संस्थाओं को निरन्तरता प्रदान की गयी थी। USACS/TSU द्वारा इन संस्थाओं में पाया गया कि कुछ सुधारात्मक प्रयास के उपरांत यह संस्थायें अपने कार्यक्रम में सुधार कर सकती है। अतः इन संस्थाओं को कार्यक्रम में सुधार हेतु पुनः मौका दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दो वर्ष 2014–15, 2015–16 की समाप्ति पर, फरवरी 2016 में External evaluation team द्वारा उक्त 06 संस्थाओं की NACO- GoI मार्गदर्शिका के अनुरूप न मानते हुए उनके द्वारा किये गये व्यय धनराशि को मानकों के विपरीत पाया गया जिसके आधार पर अनुबंध से बाहर किया गया था। यदि, USACS द्वारा प्रत्येक वर्ष Internal evaluation team द्वारा उक्त संस्थाओं पर कड़ाई/सख्ती से NACO- GoI की मार्गदर्शिका की अनुपालन सुनिश्चित की जानी चाहिए थी जो कि नहीं किया गया बल्कि वर्ष 2016–17 में अनुबंध से बाहर होने के बावजूद USACS द्वारा ₹ 4,43,174/ धनराशि का आवंटन किया गया था जिसकी SoE अप्राप्त थी जो पूर्णतः विभागीय उदासीनता का घोतक हैं।

इस प्रकार, विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ₹ 1.04 करोंड़ का अनियमित व्यय किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तरः (1) :– गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ₹ 8.95 करोड़ व्यय करने के पश्चात भी मुख्य–एड्स पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सकीय परामर्श पूर्ण रूप से न दिलाया जाना ।

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, गैर सरकारी संस्थाओं को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो के लिए प्रत्येक वर्ष Annual Activity sheet उपलब्ध करायी जाती है, जिसके अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष भर अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य किया जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा Female Sex Worker (FSW), Injected Drug User (IDU) Truckers Group (TG) एवं Men Sex With Men (MSM) typology के अर्न्तगत कार्य किया जाता है। Annual Activity sheet के अर्न्तगत किए जाने वाले विभिन्न कार्यो में से एक मुख्य कार्य FSW, IDU एवं MSM के अर्न्तगत High Risk Groups (HRGs) को चिकित्सकीय परामर्श (clinical attendance of HRGs) वर्ष में 04 बार (प्रत्येक तिमाही) किया जाना था एवं HRGs tested for HIV (ICTC) वर्ष में 02 बार (प्रत्येक छमाही) किया जाना था।

कार्यालय के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान गैर सरकारी संस्थाओं को क्रमशः ₹ 3.56 करोड़ ₹ 4.25 करोड़ एवं ₹ 1.42 करोड़ (दिसम्बर 2016 तक) की धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा क्रमशः ₹ 2.00 करोड़, ₹ 3.99 करोड़ एवं ₹ 2.96 लाख (दिसम्बर 2016 तक) व्यय किए गए एवं क्रमशः ₹ 23.42 लाख, ₹ 21.02 लाख एवं ₹ 2.08 लाख (दिसम्बर 2016 तक) समर्पित किए गए। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2014–15 से 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) के दौरान ₹ 8.95 करोड़ व्यय किए गए परन्तु गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य FSW, IDU एवं MSM के अर्न्तगत High Risk Groups (HRGs) को चिकित्सकीय परामर्श पूर्ण रूप से नहीं दिलाया गया और यह मात्र 25 से 91 प्रतिशत तक ही था तथा चिकित्सकीय परामर्श के लिए समिति द्वारा आवंटित धनराशि में से ₹ 6.10 लाख समर्पित कर दिये। अभिलेखों की जांच में यह भी देखा गया कि राज्य में इस अवधि के दौरान 412 एड्स पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ₹ 8.95 करोड़ व्यय करने के पश्चात भी मुख्य कार्य एड्स पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सकीय परामर्श पूर्ण रूप से नहीं दिलाया गया जिसका एड्स नियंत्रण समिति द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– दो 'ब'

प्रस्तर (2) :– धनराशि ₹ 1.48 करोड़ की लंबित देयता।

उत्तराखण्ड एड्स नियन्त्रण समिति द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं को उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष किए जाने वाल कार्यो के लिए Approved Annual Action Plan के अन्र्तगत धनराशि आवंटित की जाती है। समिति के लेखा अभिलेखो की जांच में देखा गया कि वर्ष 2014–15 में Approved Annual Action Plan के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं को ₹ 5.89 करोड़ की धनराशि प्रदान की जानी थी परन्तु इन संस्थाओं को इस धनराशि में से ₹ 1.48 करोड़ की धनराशि का भुगतान (दिसम्बर 2016) तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर समिति द्वारा बताया गया कि भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होन के कारण इन गैर सरकारी संस्थाओं को भुगतान नहीं किया गया।

गैर सरकारी संस्थाओं को धनराशि ₹ 1.48 करोड़ की लंबित देयता का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर (3) :– USACS द्वारा प्रद्त अग्रिम धनराशि के सापेक्ष ₹ 2.66 करोंड़ धनराशि का समायोजन लम्बित रहना।

USACS(Uttarakhand State Aids-Control Society) के सबंधित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया कि वर्ष 2016–17 (31 दिसम्बर तक) USACS द्वारा संपादित निम्न भिन्न–भिन्न योजनाओं के तहत अग्रिम प्रदान किया गया था जिसके सापेक्ष ₹ 2,66,130,47/ धनराशि का समायोजन लेखापरीक्षा अवधि (जनवरी 2017 तक) लम्बित थी जिसका विवरण निम्नवत है–

S.No.	Voucher Details	Advance amount	Adjustant Amount	Refund Amount	Balance Amount/Unadjusted amount
1.	Advance to others P.B.B.C.I, New Delhi	86,250.00	----------	----------	86,250.00
2.	Advance to NGOs	23714745.00	903807.00	571686.00	22239252.00
3.	Advance to Staff	80550.00	29628.00	18922.00	32000.00
4.	Advance to Autonomous bodies(SBTC)	1406257.50	323257.50	----------	1083000.00
5.	Advance to Districts outhorities	333353.00	27900.00	4453.00	301000.00
6.	Advance to Districts Hospitals	2116822.00	618566.00	286404.00	1211852.00
7.	NACP III Advance to others (Income Tax deptt.)	1529105.00	----------	----------	1529105.00
8.	NACP III Advance Autonomous bodies	93088.00	----------	----------	93088.00
9.	NACP III Security deposit	2000	----------	----------	2000
	Telephone Security Electric Department,DDun	75500	40.000	----------	35500.00
	Total	29437670.50	1943158.50	881465.00	2,66,13,047.00

लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया कि USACS द्वारा सिर्फ Advance to NGOs के तहत प्रदत्त अग्रिम पर उपार्जित ब्याज वापस की जाती है जबकि वर्ष 2014–15 से 2016–17 (दिसम्बर तक) राज्य

में रक्त संचरण परिषद हेतु स्वैचछिक रक्त दान कार्यक्रम व अन्य उपमदों में कार्यों के संपादन हेतु प्रद्त अग्रिम Advance to SBTC के सापेक्ष वर्ष 2016–17 (दिसम्बर तक) ₹ 10,83,000/का समायोजन ना सिर्फ लम्बित रखा गया था बल्कि USACS द्वारा प्रद्त उक्त सभी अग्रिम धनराशि (Advances to outhorities, Advance to Hospitals, Advance to autonomous bodies) पर उपार्जित ब्याज धनराशि को वापस किये जाने हेतु संबधित निर्देशित भी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपार्जित ब्याज धनराशि का लेखा का रखरखाव अलग से नहीं रखा गया था जो वित्तिय नियमों के विपरीत हैं जिसके अभाव में USACS द्वारा शतप्रतिशत बजटीय लेखाकंन नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उल्लेखित लम्बित अग्रिम धनराशि ₹ 2,66,13,047/–में से ₹ 2,11,90628/– की अग्रिम धनराशि NGOs को माह नवम्बर/दिसम्बर 2016 में आवंटित की गयी है जिसके सापेक्ष व्यय विवरण समिति कार्यालय में प्राप्त हो चुका है। वर्तमान वित्तिय वर्ष 2016–17 में उक्त धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा। लम्बित अग्रिम धनराशि के समायोजन होने पर ही नया अग्रिम धनराशि अवमुक्त किया जाता है परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ मानको में कार्यक्रम के हित में पूर्व अग्रिम धनराशि के समायोजन नहीं होने पर भी नया अग्रिम धनराशि अवमुक्त किया जाता है तथा जनपदीय स्तर के यूनिटो को आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपार्जित ब्याज की धनराशि को वापस करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लम्बित अग्रिम धनराशि के समायोजन के उपरांत ही नया अग्रिम धनराशि अवमुक्त की जानी चाहिए थी तथा अग्रिम पर उपार्जित ब्याज की धनराशि की प्राप्ति हेतु निर्देशित की जानी अपेक्षित थी तथा उपार्जित ब्याज की धनराशि को बजटीय लेखांकन में सम्मिलित कर उपयोग किया जाना चाहिए था जो कि USACS द्वारा ना तो प्रदत्त अग्रिम का समायोजन किया गया ना तो प्रदत्त (Advance to SBTC- Advances to outhorities, Advance to Hospitals, Advance to autonomous bodies) पर उपार्जित ब्याज की धनराशि की मांग की गयी ना ही शतप्रतिशत बजटीय लेखांकन का रखरखाव किया गया था

इस प्रकार USACS द्वारा प्राप्त अग्रिम धनराशि के सापेक्ष ₹ 2.66 करोंड़ धनराशि का समायोजन लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर (4) :– अनुबंधित शर्तो के विपरीत सेवा प्रदत्त फर्म को ₹ 1,07,255/ का अनियमित भुगतान के साथ परफारमेंस सिक्युरिटी धनराशि जब्त भी न किया जाना।

उत्तराखण्ड राज्य एड्स कंट्रोंल सोसायटी के अंतर्गत राज्य में स्थापित सभी रक्तकोषों के उपकरणों की A.M.C के क्रम में, रक्तकोषों का भ्रमण कर, फर्म द्वारा अपने इंजीनियर को प्रत्येक माह, सभी रक्तकोषों को विजिट कर उपकरणों का रखरखाव, सर्विस प्रदान करने के लिए मैसर्स बायोमेडिकल्स प्रा. लि. नई दिल्ली के साथ अनुबंध निष्पादित (10 सितम्बर 2014) किया गया था जिसके सापेक्ष फर्म से परफारमेंन्स सिक्युरिटी की FDR (₹ 98000) जमा करायी गयी थी।

संबधित लेखा अभिलेखों की जांच में सम्प्रेक्षा द्वारा पाया कि संबधित फर्म मैसर्स बायोमेडिकल्स प्रा.लि. द्वारा अनुबंध के शर्त के अनुसार प्रत्येक माह राज्य के 13 जनपदों के समस्त ब्लडबैकों की विजिट नहीं किया गया फिर भी सेवाप्रदात्ता फर्म द्वारा वर्ष 2015–16 में प्रस्तुत ₹ 1,84,965/ के सापेक्ष ₹ 77,710/ की कटौती कर ₹ 107255/ का भुगतान (मार्च 2016) में किया गया जबकि उक्त फर्म द्वारा USACS कार्यालय को उपलब्ध करवाए गये सर्विस रिर्पोट के आधार पर ऐसा प्रतीत नहीं था कि फर्म द्वारा सभी रक्तकोषों का भ्रमण कर उपकरणों की सर्विस किया गया फिर भी फर्म को ₹ 107255/– का भुगतान कर सिर्फ नोटिस जारी किया गया था जबकि अनुबंध की शर्तो के अनुसार Breach of Contract के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कर सभी भुगतान पर रोक लगानी चाहिए थी जो कि अततः प्रमुख सचिव के आदेशानुसार, M/s Biomedical Pvt. Ltd. द्वारा प्रस्तुत दो बीजको ₹ 338536/ की धनराशि को, सभी स्थापित रक्तकोषों शत्प्रतिशत सर्विस ना करने के कारण, फर्म का भुगतान रोक दिया गया। इस प्रकार, अनुबधं की शर्तो के अनुसार सभी जनपदों में स्थापित रक्तकोषों का निर्धारित माहवार शत्प्रतिशत सर्विस नहीं किये जाने पर सेवा प्रदत्ता फर्म को सभी भुगतान पर रोक लगाने के बजाय सेवाप्रदात्ता फर्म की ना सिर्फ ₹ 1,07,255/ का अनियमित भुगतान किया गया बल्कि Performance Security की धनराशि ₹ 94000/ को जब्त भी नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये जाने पर USACS द्वारा बताया गया कि ए.एम.सी. सस्ंथा मैसर्स, बायोमेडिकल्स प्रा. लि. ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं प्रदान की गयी तथा इस दौरान उनका कार्य संतोषजनक रहा इसलिए जिन उपकारणों की ए.एम.सी. की गयी है मात्र उन्हीं उपकरणों के लिए भुगतान किया गया। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि सेवा प्रदात्ता फर्म (मैसर्स बायोमेडिकल्स प्रा.लि.) द्वारा अनुबंधित सभी रक्तकोषों का सर्विस नहीं किया गया फिर भी USACS द्वारा कटौती कर बार–बार 2014–15 में ₹ 1,46,680/–(03/2015), वर्ष 2015–16 में क्रमशः ₹ 1,02,556/–(10/2015),₹ 1,07,255/–(03/2016) भुगतान किया गया जबकि शतप्रतिशत रक्तकोषों का भ्रमण न कर सर्विस नहीं किये जाने के लिए Breach of Contract मानकर मुल्याकंन सेवा प्रदत्ता फर्म पर प्रांरभ से ही रोक लगाया जाना चाहिए था ताकि सेवा प्रदात्ता फर्म द्वारा रक्तकोषों का

शतप्रतिशत सर्विस सुनिश्चित किया जा सके जो कि USACS द्वारा नहीं किया गया बल्कि प्रमुख सचिव द्वारा अततः आदेशित कर भुगतान पर रोक लगाया गया उसके बाद भी सेवाप्रदात्ता फर्म की Performance Security की धनराशि ₹ 98000/– को लेखापरीक्षा अवधि तक जब्त नहीं किया गया।

इस प्रकार, अनुबंधित शर्तो के विपरित सेवाप्रदात्ता फर्म को ₹ 1,07,255/का अनियमित भुगतान के साथ परफारमेंन्स सिक्युरिटी जब्त भी नहीं किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर (5):– IEC component से ₹ 5,31,551 से व्यवर्तन (fund diversion)

सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए व्यय हो जिसके लिए प्राप्त हो। उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, देहरादून द्वारा Information, Education and Communication component (IEC) के अन्तर्गत एड्स के नियंत्रण के उपायों के प्रचार हेतु सामग्री का क्रय एवं वितरण किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा में सफारी टूअर एंड ट्रेवेल्स के साथ एक वर्ष हेतु दिनांक 20.01.2015 में एक अनुबंध स्थापित किया गया व बाद में इसे दिनांक 28.02.2016 तक विस्तारित किया गया। मै. सफारी टूअर एंड ट्रेवेंल्स से एक इनोवा (एसी) टैक्सी ₹ 35000/– प्रति माह व माइलेज 8 किमी प्रति लीटर की दर से किराए पर ली गयी। उक्त वाहन प्रमुख सचिव/अध्यक्ष को उपलब्ध कराया गया। उक्त वाहन हेतु पर माह अप्रैल 2015 से माह जनवरी 2016 तक कुल ₹ 5,31,551 (₹ 272233 व ₹ 259318) का भुगतान मै. सफारी टूअर एंड ट्रेवेल्स को किया गया। उक्त भुगतान IEC component मद से व्यवर्तन (fund diversion) से किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर सोसाइटी ने बताया कि उक्त भुगतान IEC component के monitoring मद से किया गया है। सोसाइटी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि IEC के monitoring के संबंध में पूछे जाने पर सोसाइटी के उत्तर में उक्त वाहन का उपयोग कभी भी नहीं किया गया।

अतः IEC component से ₹ 5,31,551 से व्यवर्तन (fund diversion) का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग—तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग—दो 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग—दो 'ब' प्रस्तर संख्या
81 / 2011—12	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4
172 / 2013—14	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
................................शून्य..				

भाग—चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेंखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाए)

...................................शून्य..............................

भाग–पांच

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि मे अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हैं। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**

(1) विगत लेखापरीक्षा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएः

............................शून्य............................

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं.	नाम	पदनाम
(1)	डॉ कैलाश जोशी	अपर परियोजना निदेशक
(2)	डॉ वी. एस. टोलिया	अपर परियोजना निदेशक

लघु एवं प्रकियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामाजिक) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)